



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052026-272684
CG-DL-E-19052026-272684

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2394]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 13, 2026/वैशाख 23, 1948

No. 2394]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 2026/VAISAKHA 23, 1948

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2026

का.आ. 2486(अ).—केंद्रीय सरकार, उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 111 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारी को, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, डॉक कार्य की दशा में, उक्त संहिता के उपबंधों के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाले अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है:-

सारणी

क्र. सं.	अधिकारी का पदनाम	पत्तनों की सीमाएं
(1)	(2)	(3)
1.	उप निदेशक (सुरक्षा), डॉक सुरक्षा प्रभाग, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय, मुंबई।	सभी प्रमुख पत्तन।

[फा.सं. एस-65025/13/2026-आईएसएच-II]

आलोक चंद्र, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th May, 2026

S.O. 2486(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 111 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (2) of the table below to be the officer to impose penalty under the provision of the said Code, in case of dock work, within the local limits of the jurisdiction specified in column (3) of the Table below:-

TABLE

Sl. No.	Designation of Officer	Limits of ports
(1)	(2)	(3)
1.	Deputy Director (Safety), Dock Safety Division, Directorate General Factory Advice Service and Labour Institutes, Mumbai.	All major ports.

[F. No. S-65025/13/2026-ISH-II]

ALOK CHANDRA, Senior Labour And Employment Advisor